



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 170]
No. 170]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 19, 2015/वैशाख 29, 1937
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 19, 2015/VAISAKHA 29, 1937

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2015

सं. एल-1/41/2010-केविआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्व प्रकाशन के पश्चात् केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता की अंतर-राज्यिक पारेषण स्कीम के निष्पादन के लिए विनियामक अनुमोदन) विनियम, 2010 (जिसे इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता की अंतर-राज्यिक पारेषण स्कीम के निष्पादन के लिए विनियामक अनुमोदन)(प्रथम संशोधन) विनियम, 2015 है।
- (2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. मूल विनियम के विनियम 3 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 3 के खंड 1 के उपखंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित एक नया उपखंड (iii) अंतःस्थापित किया जाएगा:

“(iii) सीटीयू द्वारा प्रस्तावित ऐसी आईएसटीसी स्कीम जिसके लिए केन्द्रीय सरकार ने सोलर पावर पार्क डिवेलपर को प्राधिकृत किया है, दीर्घकालिक पहुंच की मांग की है, और जिसके लिए सीईए और फायदाग्राहियों, जहां चयन किए गए हों, को आईएसएस्टी स्कीम की स्थापना के लिए परामर्श किया गया है और सोलर पावर पार्क डिवेलपर सोलर पार्क में स्थापित किए जाने वाले सोलर परियोजना डिवेलपर्स की ओर से सभी देयताओं को वहन करने का वचनबंध करता है।”

टी. राउत, प्रमुख (विधि)

[विज्ञापन-III/4/असा./150/15(64)]

टिप्पण : मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, क्रम संख्या 154 में तारीख 7.6.2010 को प्रकाशित किए गए थे।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th May, 2015

No.L-1/41/2010-CERC.—In exercise of powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publications, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, to amend Central Electricity Regulatory Commission (Grant of Regulatory Approval for execution of Inter-State Transmission Scheme to Central Transmission Utility) Regulations, 2010 (hereinafter referred to as “the Principal Regulations”), namely:

1. Short title and commencement: (1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Grant of Regulatory Approval for execution of Inter-State Transmission Scheme to Central Transmission Utility) (First Amendment) Regulations, 2015.

(2) These regulations shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to Regulation 3 of the Principal Regulations:

(1) A new sub-clause (iii) shall be inserted after sub-clause (ii) of clause 1 of Regulation 3 of the Principal Regulations as under:

“(iii) ISTS Scheme proposed by CTU, for which the Central Government authorised Solar Power Park Developer has sought long term access, and for which consultation with CEA and beneficiaries wherever identified has been held for setting up the ISTS scheme and the Solar Power Park Developer undertakes to bear all liabilities on behalf of the solar power generators to be set up in the Solar Park.”

T. ROUT, Chief (Legal)

[ADVT-III/4/Exty./150/15(64)]

Note: The Principal Regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 of Ser. No.154 dated 7.6.2010.